


01/01/26

पडावली पैडा इई। आधिक्ता वादी अनुपामित
 न्यायालय समथ तक वादी / आधिक्ता वादी
 को अलग-अलग तीन बार आवापे
 लगई गई कोई हादिर नही इए।
 वादी वाद के प्रति गंभीर उत्तीर
 नही है रस में
 अतः वादी का वाद अफ
 हादिसी, अफ पंरकी में खारिफ
 किया जाता है

पडावली कौल शुमार दीकर
 दाखिल दकर है।


 सहायक कलक्टर
 (SDO) बाड़मेर

- 1. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 18 वर्ष
- 2. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 20 वर्ष
- 3. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 22 वर्ष
- 4. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 24 वर्ष
- 5. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 26 वर्ष
- 6. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 28 वर्ष
- 7. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 30 वर्ष
- 8. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 32 वर्ष
- 9. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 34 वर्ष
- 10. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 36 वर्ष
- 11. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 38 वर्ष
- 12. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 40 वर्ष
- 13. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 42 वर्ष
- 14. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 44 वर्ष
- 15. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 46 वर्ष
- 16. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 48 वर्ष
- 17. सहायक कलक्टर का कार्यालय बाड़मेर 50 वर्ष